न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 अपील 18/2022 **दायर दिनांकः 13.12.2022**

उनवान

1. प्रहलाद पिता बालाराम जाति मेघवाल नि. सामिया तहसील सुनेल
2. मोहनबाई बेवा बालाराम जाति मेघवाल नि. सामिया तहसील सुनेल
3. भारतीबाई पुत्री बालाराम जाति मेघवाल नि. सामिया तहसील सुनेल
4. अयोध्याबाई पुत्री बालाराम जाति मेघवाल नि. सामिया तहसील सुनेल
5. अनीताबाई पुत्री बालाराम जाति मेघवाल नि. सामिया तहसील सुनेल
6. संजूबाई पुत्री बालाराम जाति मेघवाल नि. सामिया तहसील सुनेल
7. रीनाकुमारी पुत्री बालाराम जाति मेघवाल नि. सामिया तहसील सुनेल

——अपीलांटस

बनाम

1. भेरुलाल पिता दोला जाति मेघवाल नि. सामिया तहसील सुनेल
2. राज सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल तहसील सुनेल
3. ग्राम पंचायत गादिया जरिये सरपंच तहसील सुनेल
4. ग्राम पंचायत गादिया जरिये ग्राम विकास अधिकारी तहसील सुनेल

— रेस्पोडेन्टगण

अपील इन्तकाल सं. 419 दिनांक 05.01.2013 ग्राम पंचायत गादिया

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

वकील अपीलांटस :— श्री हुकुमचन्द कुमावत

वकील रेस्पोडेन्टस सं. 1 :— श्री विनोद शर्मा

रेस्पोडेन्टस सं. 2 से 4 :— एकतरफा

आदेश **दिनांक : 17.02.2025**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

संक्षिप्त में प्रकरण इस [illegible] है कि [illegible] र हल्का गादिया तहसील सुनेल में स्थित आराजी खाता [illegible] 4 [illegible] आराजी खसरा नं. 572 रकबा 0—18 बिस्वा जमाबन्दी संवत 2065—2[illegible] के अनुसार दर्ज खातेदार बालाराम पुत्र श्री देवा जाति मेघवाल निवासी [illegible] सामिया की रही हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:22:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारी में होकर इस भूमि का रकबा 0–18 बिस्वा रहा है। इस रकबा भूमि में से खातेदार बालाराम पिता देवा जाति मेघवाल ने दिनांक 15.06.2012 को भैरूलाल पिता दोला जाति मेघवाल निवासी सामिया को 0–10 बिस्वा भूमि दक्षिण दिशा तरफ की बेचान किया है तथा मौके पर कब्जा भी 0–10 बिस्वा का दिया है, शेष 0–08 बिस्वा भूमि आराजी उत्तर दिशा की खातेदार बालाराम पिता देवा मेघवाल की शेष रही हैं परन्तु ग्राम पंचायत गादिया द्वारा दिनांक 05.01.2013 को नामान्तरकरण दर्ज किया उसमें खसरा नम्बर 572 का सम्पूर्ण रकबा 0–18 बिस्वा का दर्ज कर दिया है। जो गलत हैं। क्योंकि खातेदार ने 0–10 बिस्वा भूमि का बेचान किया है। मौके पर भी 0–10 बिस्वा भूमि पर ही भैरूलाल केता का कब्जा है। जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा होकर काश्त कर रहे हैं। इस नामान्तरकरण संख्या 419 जो विधि विरूद्ध ग्राम पंचायत गादिया द्वारा खोला गया। जिससे व्यथीत होकर अपील सादर पेश हैं। यह कि जैरकार निर्णय/नामान्तकरण सं. 419 ग्राम पंचायत गादिया की स्वीकार किया गया है। यह विधि विरूद्ध एवं न्याय की अवहेलना करते हुए स्वीकार किया गया है जो गलत होने से निरस्त होने योग्य है। यह कि भूमि का विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 15.06.2012 को हुआ है जिसमे खसरा संख्या 572 की आराजी 0–18 बिस्वा में से दक्षिण दिशा तरक की 0–10 बिस्वा भूमि का बेचान खातेदार बालाराम पिता देवा जो अपीलार्थी संख्या 02 के पत्ति एवं शेष के पिता द्वारा बेचसन किया है। तथा 0–10 बिस्वा भूमि उत्तर दिशा तरफ की का बेधान नहीं किया गया इसके विपरित ग्राम पंचायत गादिया ने खरीदार भैरूलाल से दूरनि संधि कर सम्पूर्ण रकबा 0–18 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 419 विधि विरूद्ध हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर विश्वास कर बिना जाँच एवं विक्रेता को बिना सुचित किये नामान्तरकरण दर्ज स्वीकार किया है जो कानून के विरूद्ध होने से जैरकार नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है। यह कि तत्कालीन हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण सं. 419 के कालम नं. 14 में रजिस्टर विक्रय पत्र का वर्णन किया है परन्तु कॉलम नं. 16 में गलत टिप्पणी दर्ज किया जो हल्का पटवारी ने मनमाने [illegible] अधिकार कानून की रोशनी में हल्का पटवारी [illegible] पत्र दिनांक 15.06.2012 में स्पष्ट रूप [illegible] अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:22:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

जिसको तत्कालीन हल्का पटवारी ने केता को लाभ पहुंचाने की नियत से 0–10 बिस्वा के स्थान पर सम्पूर्ण रकबा भूमि 0–18 बिस्था का नामान्तरकरण करने के लिए टिप्पण किया है जिसे भू–निरीक्षक ने भी बिना जाँच के स्वीकृति दी है। सम्पूर्ण प्रकिया कानून के विरूद्ध होने से जैरकार नामान्तरकरण सं. 419 दिनांक 05.01.2013 गलत, भ्रमात्मक एवं निष्पक्षता का अभाव होने से निरस्त होने योग्य है। यह कि नामान्तरकरण संख्या 419 में सम्पूर्ण रकबा भूमि 0–18 बिस्वा दर्ज होने से वर्तमान खातेदार भैरूलाल पिता दोला जाति मेघवाला निवासी सामिया अपीलार्थीगण के साथ लढाई–झगड़ा करते है तथा खातेदारी में आराजी दर्ज होने से बेचान की धमकी देते हैं। अपीलार्थीगण के शेष रकबा भूमि 0–08 बिस्वा भूमि में काश्त करने के लिए आने–जाने पर रास्ते में अवरोध करते है जब विवाद हुआ तथा अपीलार्थी नं. 02 के पति एवं शेष अपीलार्थी के पिता बालाराम का स्वर्गवास दिनांक 04.10.2022 को हुआ तब अपीलार्थीगण ने जमाबन्दी की नकल निकलवाई तब यह तथ्य जानकारी में आया की केता भैरूलाल ने अपराधिक षडयंत्र कर तत्कालीन हल्का पटवारी, राजस्व कर्मचारी एवं तत्कालीन सरपंच, सचिव ग्राम पंचायत गादिया से कर 0–10 बिस्वा भूमि के स्थान पर सम्पूर्ण रकबा भूमि 0–18 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 419 दिनांक 05.01.2013 को कानून के विरूद्ध दर्ज करवाया है। इस कारण जैरकार अपील नामान्तरकरण सं. 419 निरस्त होने योग्य है। यह कि अपीलार्थीगण संख्या 12 के पति एवं शेष अपीलार्थीगण के पिता श्री बालाराम का स्वर्गवास दिनांक 04.10.2022 को हो गया है। इस कारण अपीलार्थीगण ने स्वयं के नाम से माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। खसरा नं. 572 रकबा 0–08 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण के हक हिस्सा की भूमि है। जिसका बेचान खातेदार बालाराम पिता देवा मेघवाल द्वारा नहीं किया गया है। जिसके खातेदार विरासत नामान्तरकरण से अपीलार्थीगण दर्ज होने की पात्रता रखते हैं। इस कारण जैरकार अपील नामान्तरकरण सं. 419 निरस्त होने योग्य है। यह कि अपील प्रस्तुत करने में देरी का कारण अनभिज्ञता रहा है। अपीलार्थीगण के [illegible] पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा आराजी को लेकर [illegible] की सम्पूर्ण आराजी रकबा मेरी खाते[illegible] से बेदखल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:22:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०।

Scanned with OKEN Scanner

कर दूँगा अथवा आराजी का बेचान कर दूँगा क्योंकि खसरा नं. 572 रकबा 0–18 बिस्वा का मैं एक मात्र खातेदार हूं। तुम्हारा इस पर कोई हक, हिस्सा, अधिकार, खातेदारी नहीं हैं। यह जानकारी होने पर अपीलार्थीगण ने जमाबन्दी की नकल बनवाई तथा बेचान खत दिनांक 15.06.2012 एवं नामान्तरकरण संख्या 419 सभी राजस्व दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त की तब जानकारी में आया की रेस्पोडेन्ट ने 0–10 बिस्वा खरीद भूमि से अधिक 0–06 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण सं. 419 विधि विरूद्ध अपराधिक षडयंत्र कर 0–10 बिस्वा भूमि के स्थान पर नामान्तरकरण सम्पूर्ण रकबा 0–18 बिस्वा का दर्ज करवाया है। देरी का कारण क्षमा योग्य है। तथा जानकारी से प्राप्त दस्तावेजात होने पर अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की हैं। धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। यह कि बाद कारण जानकारी से लगभग 01 माह पूर्व उत्पन्न हुआ जब अपीलार्थीगण ने खसरा संख्या 572 की शेष आराजी 0–08 बिस्वा का विरासत नामान्तरकरण खुलवाने का प्रयास किया तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा विवाद करने एवं धमकि देने से वाद कारण उत्पन्न होकर अपील माननीय न्यायालय में पेश करना उचित एवं आवश्यक हुआ है। यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय को अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। यह कि अपील उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। यह कि अन्य कारण वक्त बहस माननीय न्यायालय की अनुमति से अर्ज किये जायेगें। अतः अपील अपीलार्थीगण सादर सेवा में पेश कर माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता हैं कि अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 05.01.2013 नामान्तरकरण से 419 जो ग्राम पंचायत गादिया द्वारा तस्दीक किया गया जिसे निरस्त करने की कृपा करें। तथा अन्य न्यायोचित राहत जो भी अपीलार्थीगण के पक्ष में आवश्यक हो अपीलार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान करने की कृपा करें।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेसपोडैटस सं. 2 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः मुताबिक आदेशिका दिनांक [illegible] के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। रेसपोडेन्टस सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा ने वकालातनामा पेश किया परन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:22:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

नहीं किया जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक 10.01.2025 को रेस्पोडेन्टस सं. 1 जवाब अवसर बंद किया गया।

3. अपीलांटस की ओर से अपील के समर्थन में ग्राम सलोतिया नामान्तरण संख्या 419 दिनांक 05.01.2013 की सत्यप्रति, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.06.2012 की प्रमाणित प्रति, ग्राम सामिया का खाता सं. 84 जमाबंदी सं. 2069–72, खाता सं. 139 की जमाबंदी सं. 2073–76 की नकल, खसरा नक्शा दिनांक 14.11.2022, बालाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं प्रहलाद, मोहनबाई, भारतीबाई, अयोध्याबाई, अनीताबाई, संजुबाई, रीनाकुमारी का आधारकार्ड की छायाप्रतियां पेश की।

4. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस अपील सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटस के पिता बालाराम पि. देवा जाति मेघवाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.06.2012 ग्राम सामिया के ख.नं. 572 रकबा 0–18 बीघा में से पश्चिम दिशा तरफ की 0–10 बीघा लगानी भूमि को रेस्पोडेन्ट सं. 1 भेरूलाल को 40000 रू में बेचान कर कब्जा सौपा था लेकिन राजस्व कार्मिको व ग्राम पंचायत गादिया द्वारा बेचान नामा. सं. 419 दिनांक 05.01.2013 निर्णित करते समय षडयंत्रपूर्वक सम्पूर्ण 0–18 बीघा भूमि का नामान्तरण केता भेरूलाल के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया जो कि प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध होने से खारीज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 का केवल कयशुदा 0–10 बीघा भूमि पर ही कब्जा काष्त चला आ रहा है शेष 0–08 बीघा भूमि पर अपीलांटस का निरन्तर व शांतिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा आगे तर्क किया गया कि राजस्व कार्मिको एवं ग्राम पंचायत द्वारा विकय पत्र की 0–10 बीघा भूमि के स्थान पर 0–18 बीघा भूमि पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 का नाम दर्ज करते समय अपीलांट को न तो सुना गया एवं न ही किसी प्रकार की सूचना दी गई। ग्राम पंचायत द्वारा बिना अपीलांटस को सुने तस्दीक किया गया नामा सं. 419 दिनांक 05.01.2013 अवैध होकर खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:22:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

5. अभिभाषक अपीलांटस द्वारा आगे तर्क किया गया कि पहले अपीलांटस के पिता और उनकी मृत्यु के बाद से अपीलांटस का शेष 0–08 बीघा भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त चले आने से कभी उक्त अवैध नामान्तरण की जानकारी नहीं हुई थी। अपीलांटस के पिता की दिनांक 04.02.2022 को मृत्यु होने के बाद जब अपीलांटस हल्का पटवारी के पास उक्त भूमि का नामान्तरण खुलवाने के लिए गए तो अपीलांटस को सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के खाते दर्ज होने की जानकारी हुई। जानकारी होते ही दिनांक 13.12.2022 को अपीलांटस द्वारा नामान्तरण की अपील मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का पेश कर दिया गया। अतः अपीलांटस के पिता को सुने बिना और लिखित सहमति लिए बिना रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा राजस्व कार्मिको व ग्राम पंचायत के साथ मिलकर षडयंत्र पूर्वक दर्ज किये गये प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य व अवैध नामान्तरण की अपील पेश होने में हुई देरी माफ किये जाने योग्य है।

6. अभिभाषक रेस्पोडेटस सं. 1 द्वारा उक्त बहस का पूरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा वर्ष 2012 में भूमि क्रय कर दिनांक 05.01.2013 को नामानतरण तस्दीक करवाया था। विगत 10 वर्षो के दौरान अपीलांटस के पिता ने अपने जीवनकाल में न तो कोई आपत्ति पेश की और नही नामान्तरण के विरूद्ध कोई अपील पेश की। विक्रेता बालाराम ने सहमति से सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरण रेस्पोडैन्टस सं. 1 के पक्ष में दर्ज करवाया था। अतः अपीलांटस की अपील मियाद बाहर होने से खारीज किये जाने योग्य है। अपीलांटस द्वारा नामान्तरण तस्दीक होने के 10 वर्षो बाद अपील पेश की है जो माफी योग्य नहीं होने से अपील खारीज योग्य है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा आगे तर्क किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा दिनांक 01.08.2014 को वादग्रस्त भूमि का आवासीय इकाई हेतु तहसीलदार पिडावा से संपरिवर्तन कराया जाकर नामान्तरण दर्ज हो चुका है। गैर कृषि भूमि आवासीय इकाई हेतु दर्ज होने के नामान्तरण को खारीज नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलांटस की अपील खारीज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.08.24 11:22:44 IST
Reason: SelfAttested

7. उभयपक्ष की बहस अभिलेख पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांटस द्वारा [illegible] दिनांक 05.

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

01.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख.नं. 572 रकबा 0–18 बीघा भूमि अपीलांटस के पिता बालाराम पि. देवा जाति मेघवाल के खाते दर्ज थी। अपीलांटस द्वारा पेश जमाबंदी सं. 2069–72 से भी वादग्रस्त आराजी बालाराम पि. देवा मेघवाल के खाते दर्ज होना साबित होता है। अपीलांटस द्वारा पेश ग्राम सामिया के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.06.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि बालाराम पि. देवा द्वारा सामिया की अपनी आराजी ख.नं. 572 रकबा 0–18 बीघा में से पश्चिम दिशा तरफ की 0–10 बीघा लगानी भूमि को रेस्पोडेन्ट सं. 1 भेरूलाल को 40000 रू में बेचान कर कब्जा सौपा था। उक्त विक्रय पत्र में कही भी सम्पूर्ण भूमि यानि 0–18 बीघा भूमि के बेचान का अंकन नही है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपीलांटस के इस कथन का कोई आपत्ति पेश नहीं की कि – बालाराम पि. देवा ने कुल 0–18 बीघा में से केवल 0–10 बीघा का ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 को बेचान किया था। शेष 0–08 बीघा भूमि पर विक्रेता बालाराम/वारीसान के निरन्तर कब्जा काश्त पर भी कोई आपत्ति पेश नहीं। **अतः बालाराम पि. देवा द्वारा ख.नं. 572 रकबा 0–18 बीघा में से 0–10 बीघा का ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 को बेचान किया जाकर कब्जा सौपना साबित है।**

8. अपीलांटस द्वारा पेश नामा.सं. 419 दिनांक 05.01.2013 के कालम सं. 11, 12 व 16 के अवलोकन से जाहिर है कि हल्का पटवारी गादिया द्वारा ख.नं. 572 रकबा 0–18 बीघा का बालाराम द्वारा भेरूलाल को बेचान करने का अंकन कर नामान्तरण भूअभिलेख निरीक्षक के समक्ष पेश किया। भू. अभिलेख निरीक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 04.01.2013 में लिखा है कि मुताबिक विक्रय पत्र अंकन सही है। भूअभिलेख निरीक्षक की यह जांच रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.06.2012 के अनुसार पूर्णतः गलत है क्योंकि विक्रय पत्र में केवल 0–10 बीघा भूमि बेचान का ही अंकन है और पटवारी ने सम्पूर्ण 0–18 बीघा का नामान्तरण दर्ज किया। रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 ग्राम पंचायत गादिया के निर्णय दिनांक 05.01.2013 में भी ख.नं. 572 की सम्पूर्ण रकबा 0–18 बीघा के बेचान [illegible] गया है जो कि बिना किसी दस्तावेज और [illegible] है। उक्त अंकन के समर्थन में हल्का पटवारी, भू.अभिलेख निरीक्षक व रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 ग्राम पंचायत गादिया द्वारा कोई भी दस्तावेज/साक्ष्य संलग्न/पेश नहीं किया

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:22:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

गया। यह सही है कि बेचान नामान्तरण दर्ज करते समय ग्राम पंचायत द्वारा केता और विकेता दोनो को सुना जाना चाहिए लंकिन ग्राम पंचायत गादिया द्वारा विकेता बालाराम को सुने बिना ही विधि विरूद्ध रूप से उसकी 0–10 बीघा भूमि के स्थान पर सम्पूर्ण 0–18 बीघा भूमि का नामान्तरण तस्दीक कर दिया जिसका रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 को कोई हक व अधिकार नहीं था। अतः **नामा.सं. 419 दिनांक 05.01.2013 प्रारम्भ से शून्य व विधि विरूद्ध होने से खारीज किये जाने योग्य है।**

9. हस्तगत प्रकरण में जहां तक लिमिटेशन का सवाल है, अपीलांटस द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि अपीलांटस व उनके पिता वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त चले आये है और अशिक्षित किसान होने से अनभिज्ञतावश अपील देरी से पेश की गई है। अपीलांटस के पिता की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरण के लिए जमाबंदी की नकल बनवाने पर नामा.सं. 419 की जानकारी होना अंकित किया है। **मद सं. 7 व 8 की विवेचान से यह तथ्य साबित है कि** ग्राम पंचायत गादिया द्वारा निर्णित नामांतरण सं0 419 प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध (**void ab initio**) होने से खारीज योग्य है। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयो एवं राजस्व मण्डल द्वारा विलंब के संबंध में यह सिंद्धात प्रतिपादित किया है कि किसी अपील को मियाद के बिन्दु खारिज करने से पूर्व प्रकरण की मेरिट पर समुचित रूप से विचार किया जाना चाहिये एवं अपील मेरिटस के आधार पर सुदृढ रूप से खडी हो तो प्रकरण का निर्णय मेरिटस के आधार पर ही किये जाने के प्रयास करने चाहिये। इस सिद्धांत को यदि हम वर्तमान प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करें तो यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अपीलांटस द्वारा मेरिट के संबंध में उठाये गये कानूनी एवं तथ्यात्मक विन्दू सुदृढ साक्ष्य पर आधारित है। रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी लिखित दस्तावेज के, अपीलांटस के पिता बालाराम को सुने बिना, मनगढंत कथनो के आधार पर अपीलांट की सम्पूर्ण भूमि 0–18 बीघा को केता रेस्पोडेन्ट सं. ... के नाम में दर्ज करना प्रारंभ से ही विधि विरूद्ध एवं प्रभाव शून्य है। ऐसे प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध (**void ab initio**) आदेश के विरूद्ध कभी भी अपील की जा सकती है ऐसे शून्य प्रभावी नामांतरण को चुनौती देने के लिए मियाद कभी बाधक नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:22:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

होती है। जिन प्रकरणों में विधि विरूद्ध तरीके से किसी व्यक्ति को बिना किसी आधार और बिना सुने उसके कानूनी अधिकारो से संदेहप्रद रूप से वंचित किया गया हो उन प्रकरणों को सदैव गुणागुण पर निर्णित करना ही प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। जो नामांतरण पुर्णतया साक्ष्य के विरूद्ध किये गये सिद्ध हो तो उन्है यथावत रखे जाना कभी भी न्याय की मंशा नही होती है। अतः अपीलाटस का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

10. **सुगनी बनाम दुर्गाराम आरआरटी 2020(2) पेज 846** मामले में माननीय राजस्व मण्डल में अपील पेश करने में की गयी विलंब को इस आधार पर माफ किया है कि जो नामांतरण पूर्णतय साक्ष्य के विरूद्ध किये गये हो उन्है यथावत रखे जाना न्याय की मंशा नही होती है। इसी प्रकार **प्रेमसिंह बनाम सुगनकुवर आरआरटी 2022(2) पेज 1137** मामले में माननीय राजस्व मण्डल ने 30 वर्षो से अधिक की देरी को माफ करते हुए अभिनिधारित किया है कि विधिक रूप से वोईड अबोनिसाई आदेश पर लिमिटेशन एक्ट लागू नही होती है ऐसी अपील को अंदर मियाद स्वीकार किया जाना चाहिए। **हसन बनाम टूंडो आरआरटी 2018–19(SUPP) पेज 239** प्रकरण में भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपील पेश करने में की गयी करीब 40 वर्षो की अत्यधिक देरी को माफ करते हुए अभिनिर्धारित किया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत प्रारंभ से ही शून्य प्रभावी एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण नामांतरण को चुनौती देने के लिए मियाद कतई बाधक नही होती है।

11. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 का यह कथन कि – रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने वादग्रस्त आराजी ख.नं. 572 रकबा 0–18 बीघा का दिनांक 01.08.2014 को तहसीलदार पिडावा से आवासीय इकाई हेतु संपरविर्तन कराये जाने से गैर कृषि भूमि का नामान्तरण खारीज नहीं किया जा सकता है– साबित नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा पेश वादग्रस्त भूमि की हाल जमाबंदी सं. 2073–76 दिनांक 14.11.2022 मे वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि के रूप में दर्ज रिकार्ड है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने वादग्रस्त भूमि को आवासीय इकाई हेतु वर्ष 2014 में संपरवर्तित कराये जाने का कोई भी साक्ष्य/आदेश पेश नहीं किया है न ही ऐसे भू.संपरिर्तन आदेश के आधार पर खोले गये नामान्तरण की नकल पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:22:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

की गई है। यह सही है कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित किये गये किसी भी विधि विरूद्ध एवं प्रभाव शून्य नामान्तरण को खारीज करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को है।

12. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम सामिया तहसील सुनेल की आराजी खाता संख्या 74 खसरा नं0 572 रकबा 0–18 बीघा के संबंध में ग्राम पंचायत गादिया द्वारा तस्दीक नामा.सं. 419 दिनांक 05.01.2013 के प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध एवं प्रभाव शून्य होने से अपीलांट की अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट. स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार की जाती है। ग्राम सामिया तहसील सुनेल की आराजी खाता संख्या 74 खसरा नं0 572 रकबा 0–18 बीघा के संबंध में ग्राम पंचायत गादिया द्वारा तस्दीक नामा.सं. 419 दिनांक 05.01.2013 के प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सुनेल को आदेश दिया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी का रजिस्टर्ड विकय दिनांक 15.06.2012 के आधार पर पुनः विधिवत नामान्तरण दर्ज करे।

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/2/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0।

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:22:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner